रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261948 SG-DL-E-25032025-261948

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/चैत्र 4, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 453 No. 99] DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/CHAITRA 4, 1947 [N. C. T. D. No. 453

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय अधिसूचना

दिल्ली. 25 मार्च. 2025

फा. सं. 21/1/Apprn.1/2025/LAS-VIII/Legn./2622.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2025

2025 को विधेयक संख्या 01

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 25 मार्च, 2025 को पुरःस्थापित किया गया)

2025 को विधेयक संख्या 01

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2025

वर्ष 2024–2025 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

2036 DG/2025 (1)

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2025 है।

₹ 163,43,65,000 / —का वर्ष 2024—2025 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक सौ तिरसठ करोड़ तैंतालीस लाख पैंसठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2024—2025 की अविध के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

उ. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अविध के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में) निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
|------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|------------------------|---------|
| I | II | | III | IV | V |
| | | राजस्व | 100 | 85 | 185 |
| 3 | न्याय प्रशासन | पूँजी | 100 | 0 | 100 |
| 4 | वित्त | राजस्व | 200 | 0 | 200 |
| | | पूँजी | 75018 | 0 | 75018 |
| | ਸਟ | राजस्व | 0 | 3300 | 3300 |
| 5 | गृह | पूँजी | 100 | 0 | 100 |
| 6 | शिक्षा | राजस्व | 600 | 0 | 600 |
| 7 | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | राजस्व | 1100 | 215 | 1315 |
| | | पूँजी | 1436971 | 0 | 1436971 |
| 8 | समाज कल्याण | राजस्व | 1800 | 100 | 1900 |
| | | पूँजी | 100 | 0 | 100 |

| | | राजस्व | 0 | 5 | 5 |
|----|---------------------------|--------|---------|--------|---------|
| 9 | उद्योग | | | | |
| | | पूँजी | 100 | 0 | 100 |
| | | | | | |
| 10 | | राजस्व | 800 | 160 | 960 |
| | विकास |);; A | | | |
| | | पूँजी | 500 | 0 | 500 |
| _ | | | | | |
| 11 | | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| | शहरी विकास और लोक निर्माण | ٠ | | | |
| | | पूँजी | 400 | 112511 | 112911 |
| | | | | | |
| | योग | | 1517989 | 116376 | 1634365 |
| | | | | | |

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2025, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

रेखा गुप्ता, वित्त मंत्री

दिल्ली

24 मार्च, 2025

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2025 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

रंजीत सिंह, सचिव

DELHI LEGISTATIVE ASSEMBLE SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th March, 2025

No. F. 21/1/Apprn.1/2025/LAS-VIII/Legn./2622.—The following is published for general Information:—

THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2025

BILL No. 01 OF 2025

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 25 March, 2025)

BILL No. 01 OF 2025

THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2025

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2024-2025.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2025.

Issue of ₹ 163,43,65,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2024-2025. 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees one hundred sixty three crore forty three lakh sixty five thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2024-2025 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

| Demand | Services and Purposes | | Voted by the | Charged on | Total |
|--------|---------------------------|---------|--------------|--------------|---------|
| No. | | | Legislative | the | |
| | | | Assembly | Consolidated | |
| | | | | Fund | |
| I | II | | III | IV | V |
| | | Revenue | 100 | 85 | 185 |
| 3 | Administration of Justice | Capital | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Finance | Revenue | 200 | 0 | 200 |
| | | Capital | 75018 | 0 | 75018 |
| | | Revenue | 0 | 3300 | 3300 |
| 5 | Home | Capital | 100 | 0 | 100 |
| 6 | Education | Revenue | 600 | 0 | 600 |
| | | Revenue | 1100 | 215 | 1315 |
| 7 | Medical and Public Health | Capital | 1436971 | 0 | 1436971 |
| | | Revenue | 1800 | 100 | 1900 |
| 8 | Social Welfare | Capital | 100 | 0 | 100 |
| | | Revenue | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Industries | Capital | 100 | 0 | 100 |
| | | Revenue | 800 | 160 | 960 |
| 10 | Development | Capital | 500 | 0 | 500 |
| 11 | Urban Development and | Revenue | 100 | 0 | 100 |
| 11 | Public Works | Capital | 400 | 112511 | 112911 |
| | Total | | 1517989 | 116376 | 1634365 |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2025 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2024-2025.

This bill seeks to achieve the above objectives.

REKHA GUPTA, Finance Minister

Delhi 24 March, 2025

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2025 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

RANJEET SINGH, Secy.